फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत..........**सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा**............मुकाम...............**भादरा**..................................

.... **बनाम्** ....

किस्म मुकदमा.....**अन्तर्गत धारा** .... नं० ....**/2021** सन्. **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
29/10/21	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार से स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों व शपथ पत्रों का अध्ययन किया गया। श्रीमान् जिला कलक्टर द्वारा जारी पत्रांक एफ 9(7)/118/डी.आर.ए/96 विषयक रकबा आदेश क्रमांक 935 दिनांक 30/4/97 को जारी खातेदारी सनद को अमल दरामद में कोई न्यायिक बाधा नहीं है। अत: न्यायालय इसकी अमल दरामद का आदेश देता है। तहसीलदार भादरा को अलग से तहरीर जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29/10/21 को मेरे द्वारा लिखा जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (शिविर प्रभारी) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा प्र.गा. के संग अ.-2021 कैम्प .... उत्तरादाबास	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:53:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कार्यालय :– उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) भादरा जिला हनुमानगढ़

क्रमांक :– शिविर/21/641 दिनांक : 29-10-2021

तहसीलदार राजस्व,
भादरा।

विषय :– भूमि आवंटन/खातेदारी हेतु राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिविर स्थल उतरादाबास में दिनांक 29.10.2021 को उपखण्ड न्यायालय में जैरकार वाद सं0 15/2021 अनवानी जसवंत बनाम भागवती को सुना गया। उपरोक्त अनवानी प्रकरण में पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर उभयपक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में वर्णित कृषि भूमि रोही चक 9 बारानी के खाता सं0 235/227 में स्थित मु0 न0 53 के किला न0 20, 21 प्रत्येक किला की 0.2530है0, मु0 न0 54 के किला न0 13 ता 18 24, 25 प्रत्येक किला की 0.2530है0 कुल 10 किला भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है अतः उक्त भूमि के संबंध में श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा जारी पत्रांक एफ 9(7)/118/डी.आर.ए./96 विषयक रकबा आदेश क्रमांक 935 दिनांक 30.04.1997 को जारी खातेदारी सनद को अमल दरामद में कोई न्यायिक बाधा नहीं है अतः न्यायालय इसकी अमल दरामद का आदेश देता है तथा उक्त वर्णित वादभूमि में राजस्व रिकार्ड से सिवाय चक काबिल काश्त तथा मीका देवी पत्नी बनवारी को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर जसवंत पुत्र बनवारी 1/3 हिस्सा, महावीर पुत्र बनवारी 1/3 हिस्सा व भागवंती पत्नी सुभाष, सुनीता पुत्री सुभाष, कविता पुत्री सुभाष को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़
प्र.म.शि.अ.-2021
कैम्प ....

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:53:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

क्रमांक/राजस्व/2021/620 दिनांक-05-10-2021

तहसीलदार (राजस्व)
भादरा

विधि

Camp Ramgadhya

विषय: अनवानी जसवंत बनाम भागवंती आदि प्र०सं० 15/21 के मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवानी प्रकरण जसवंत बनाम भागवंती आदि प्र०सं० 15/21 न्यायालय हाजा में जेरकार है। उक्त अनवानी प्रकरण के रोही 9 बारानी के मु.नं. 54 के किला नं. 13 ता 18, 23 ता 25 मु.नं. 53 के किला नं. 20,21 कुल 11 किला कृषि भूमि सिवाय चक काबिल काश्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर वर्तमान मौका स्थिति रिपोर्ट इस कार्यालय में अविलम्ब पेश करें ताकि प्रकरण में विलम्ब ना हो।

(... प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
[illegible] अ.-2021
रामगढ़िया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:53:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner